


<p>भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय कर्मयोगी भवन, सेक्टर-10A, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2 , सी विंग, गांधीनगर ई -मेल: gandhinagar.ibm@gmail.com</p>		<p>GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF MINES INDIAN BUREAU OF MINES Office of Regional Controller of Mines Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, Sector-10A, Gandhinagar-382010, Gujarat</p>
--	--	---

मिसिल सं.- गुज/पोर्ब/चू.प. - 092

पंजीकृत पत्र

कारण बताओ नोटिस

दिनांक : 21.11.17

सेवा में : श्री अशोक बाबूलाल सिंधव
हरी भवन, 1st माला, एस. टी. रोड
जिला -पोरबंदर-360575, गुजरात

विषय: गुजरात राज्य के पोरबंदर जिला में स्थित आपकी अनियारी चुना खान, सर्वे नंबर-207/P, क्षेत्रफल 23.88 हेक्टर में खनिज संरक्षण व विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन **(Mine Code-38GUJ21010)**

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 04/07/2017 को आपकी उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमवाली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया और उनके निराकरण के लिए आपको 45 दिन का समय देते हुए इस कार्यालय के संसंख्यक रजिस्टर्ड ए. डी. पत्र दिनांक 22.08.17 द्वारा आपको सूचित किया गया था।

नियम स.	पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
Rule 11(1)	<p><i>No holder of the mining lease shall commence or carry out mining operation in any area except in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines</i></p> <p>In your case it was observed during mine inspection that, mining operations were being carried out without approved Mining Plan/Review & updation of Mining Plan. Last Mining Scheme was approved vide this office letter No-682(23)(MS-342)/2006-MCCM(N)-UDI dated 07/01/2014 for 3year period from 2013-14 and ended in the year 2015-16. After this no further Scheme of Mining/Mining Plan was submitted and mine is presently working without approved Mining Plan/Review of MP.</p>
Rule 27	<p><i>A financial assurance shall be furnished by the holder of the mining lease, for due and proper implementation of the progressive mine closure plan contained in MP/MS</i></p> <p>But, it is observed that the same has not been submitted to this for aforesaid mine.</p>
Rule 33	<p><i>The holder of a mining lease shall, on or before the 30th day of June every year submit a digital copy along with print copy of the Surface Geological plans and Sections maintained under Rule 32 of MCDR,2017</i></p> <p>In your case, you have not submitted the aforesaid plans & sections maintained under the Rule 32 of MCDR, 2017 to this office.</p>

Rule 45(5)(b)(c)	The holder of a mining lease shall submit online returns in respect of each mine to the Regional Controller of Mine or any other authorized officer of the Indian Bureau of Mines in the following manner- (a) A monthly Return which shall be submitted before the 10 th of every month in respect of the preceding month in electronic form along with a signed print copy of the same if it is not digitally signed, in the prescribed form (b) An annual Return which shall be submitted before 1 st day of July each year for the preceding financial year in electronic form, along with signed print copy of the same if it is digitally signed, in the respective Form But, it is observed that, you have not submitted Monthly Returns from April-2012 onwards and Annual Returns from 2012-13 onwards to this Regional office. Therefore, you are directed to submit aforesaid returns in online system immediately through www.ibm.gov.in/index.php/auth/login .
Rule 55(1)(3)	A full time Mining Engineer and Geologist have not been appointed for the purpose of carrying out the mining operations in accordance with these rules

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उल्लंघन पत्र जारी होने की तिथि से 45 दिन समाप्त होने के बाद भी आपने उल्लंघन पत्र का कोई जवाब नहीं दिया है और इन नियमों का उल्लंघन यथावत जारी है।

03. यह आपके पुनः ध्यान में लाया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है तथा इन नियमों के उल्लंघन की अनुपलना नहीं होने पर खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 2017 के नियम 11(2) एवं नियम 45(7)(a)(i) के अंतर्गत खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं / आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है और/या राज्य सरकार से खदान की सारी संक्रियाएं बंद करने और/या आपके विरुद्ध अभियोग दायर करने की सिफारिश की जा सकती है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि में कारण बताने के लिए निर्देशित किया जाता है।

04. कृपया नोट करे की इस संदर्भ में आपको और कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा।

भवदीय,

(संजय गिरहे)

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. खान नियंत्रक (उ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर।
2. आयुक्त, भूविज्ञान व खनन विभाग, ब्लॉक-1, 7वां माला, उद्योग भवन, गांधीनगर (गुज.),
3. सहायक भूविज्ञानी, भू-विज्ञान एवं खान विभाग, जिल्हा सेवा सदन-1 पोरबंदर एयर पोर्ट एरिया, पोरबंदर, गुजरात - 360577
4. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो